तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज
8/5/25	वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र कायम मुकामी अप्रार्थी नं. 1 पर बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र कायम मुकामी स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकामी अप्रार्थी नं. 1 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। संशोधित शीर्षक पेश हुआ। नकल अप्रार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। अप्रार्थी वकील ने तहसीलदार रिपोर्ट पर आपत्ति करने हेतु निवेदन किया। वास्ते पेश होने आपत्ति व मूल बहस हेतु दिनांक 19-5-25 को पेश हो।
19/05/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। प्रार्थना पत्र 251 (क) रा.का.अधि. पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।
30/05/25	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट पर सहमति जाहीर करते हुए मुताबिक तहसीलदार नीमकाथाना रा[illegible] निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस के [illegible] में वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना [illegible] अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं जवाब प्रा0 पत्र अप्रार्थीगण का अवलोकन

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj[illegible] Yadav
Date: 2025.06.19 10:45
Reason: SelfAttested

आवेदन पत्र 251 ऊ

778/2023	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज Gcms-2023/222 प्रहलाद वगै० v/s राजेश्वरी वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थीगण की तन ग्राम भगोट अवस्थित खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए न्यूनतम दूरी का रास्ता ख0नं0 725 व 789 से होकर प्रस्तावित हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि प्रार्थीगण की तन ग्राम भगोट तहसील नीमकाथाना अवस्थित खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए भूमि ख0नं0 725 व 789 में से मुताबिक नक्शा ट्रेस व तहसीलदार रिपोर्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थीगण से उक्त रास्ता भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को दिलवायी जाकर उक्तानुसार रास्ता कायम किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:45:39 IST
Reason: SelfAttested